प्रेस नोट
दिनांक- 11.11.2026

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की 07 अदद मोटरसाइकिलें बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार एवं 01 अपचारी किशोर पुलिस अभिरक्षा में-

घटना /कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.11.2026 को उ0नि0 प्रभाकर पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा टिकरी चौराहे के आगे सड़क पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिलों को बेचने के उद्देश्य से गनेशपुर ग्रन्ट जाने वाले खड़ंजा मार्ग के किनारे टिकरी जंगल की झाड़ियों में छिपाकर रखे हुए हैं। सूचना पर टिकरी जंगल में घेराबंदी कर चोरी की 07 अदद मोटरसाइकिलों के साथ 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 01 अपचारी किशोर को पुलिस संरक्षण में लिया गया। बरामद मोटरसाइकिलों में एक मोटरसाइकिल थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 413/2026 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित पायी गयी तथा अन्य बरामद मोटरसाइकिलों के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 416/2026 धारा 317(2), 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे चारों मिलकर अलगअलग जनपदों से मोटरसाइकिलें चोरी करते थे तथा चोरी की - मोटरसाइकिलों को जंगल एवं सुनसान स्थानों पर छिपाकर रख देते थे। बाद में उन्हें सस्ते दामों पर बेचकर आर्थिक लाभ कमाने की योजना बनाते थे। अभियुक्तो ने बताया कि पुलिस से बचने एवं मोटरसाइकिलों की पहचान छिपाने के लिए उनके नम्बर प्लेट बदल देते थे अथवा निकालकर फेंक देते थे। उनके द्वारा मोटरसाइकिल संख्या UP51BY3184 को दीपावली के दिन दुर्जनपुर पचूमी बाजार थाना वजीरगंज से, UP42BU8339 को धर्म चौक अयोध्या से, UP42BK6545 एवं दो अन्य मोटरसाइकिलों को नया घाट अयोध्या से, एक मोटरसाइकिल को थाना पूराकलन्दर जनपद अयोध्या से तथा UP58AA6689 को मगहर खलीलाबाद से चोरी करना स्वीकार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. आकाश सोनकर पुत्र किन्हौरी निवासी ग्राम मोहनापुर, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।
2. अरविन्द कोरी पुत्र शोभाराम निवासी ग्राम देवीनगर, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।
3. विवेक निषाद पुत्र विजय कुमार निषाद निवासी ग्राम नयपुरिया बहादुरा, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 413/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

-01मु0अ0सं0 416/2026 धारा 317(2), 318(4) बीएनएस, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

बालअपचारी का आपराधिक इतिहास-

1. अ0सं0 13/2026 धारा 303(2),317 (2) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
2. अ0सं0 34/26 धारा 303(2), 317(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
3. अ0सं0 413/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
4. अ0सं0 416/2026 धारा 317(2), 318 (4) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विवेक निषाद पुत्र विजय निषाद निवासी बहादुरा थाना बजीरगं जनपद गोण्डा।

1. अ0सं0 13/2026 धारा 303(2),317 (2) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
2. अ0सं0 413/2026 धारा 303(2), 317 (2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
3. अ0सं0 416/2026 धारा 317(2), 318 (4) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरविन्द कोरी पुत्र शोभाराम कोरी निवासी देबीनगर थाना बजीरगंज जनपद गोण्डा ।

1. अ0सं0 413/2026 धारा 303(2), 317 (2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
2. अ0सं0 416/2026 धारा 317(2), 318 (4) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आकाश सोनकर पुत्र किन्हौरी निवासी मोहनापुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

1. अ०सं० 413/2026 धारा 303 (2), 317 (2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा । |
2. अ०सं० 416/2026 धारा 317(2), 318 (4) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. एक अदद पैशन प्लस मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नं0 UP51BY3184।
2. एक अदद स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नं0 UP42BK6545।
3. एक अदद स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नं0 UP58AA6689।
4. एक अदद स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नं0 UP42BU8339।
5. एक अदद स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट।
6. एक अदद मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट, वास्तविक रजिस्ट्रेशन नं0 UP43AZ0207।
7. एक अदद मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट, वास्तविक रजिस्ट्रेशन नं0 UP51BH9097।
8. 180 रुपये नकद।
9. 02 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रभाकर पाण्डेय, थाना वजीरगंज।
2. उ0नि0 योगेन्द्र सिंह।
3. हे0का0 शशिकान्त सिंह।
4. हे0का0 अनिल कुमार।
5. हे0का0 संदीप यादव।
6. हे0का0 अमरजीत यादव।
7. का0 दुर्गेश चौधरी।
8. का0 अमन यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 11.11.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा भैंस चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, चोरी की गई 02 भैंसें बरामद-

कार्यवाही

आज दिनांक 11.11.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों की तलाश तथा चोरी की घटना की पतारसीसुरागरसी कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु-0अ0सं0 379/2026 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की गई दो भैंसों के साथ अभियुक्त कोल्हमपुर विशेन से दयालपुर जाने वाले मार्ग के किनारे जंगल की झाड़ियों में छिपे हुए हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा झाड़ियों की आड़ में बैठे दोनों अभियुक्तों दिलशाद पुत्र रफीक एवं अनिल पुत्र हरी उर्फ रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से चोरी की गई दोनों भैंसें भी बरामद की गईं। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी जिगर अली पुत्र हुकुम अली निवासी ग्राम काजीपुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज पर सूचना दी गई कि दिनांक 06/07.11.2026 की मध्यरात्रि में उनके दरवाजे पर बंधी 02 भैंसों को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 379/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी एवं पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त अनिल ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसका अपने पट्टीदार जिगर अली पुत्र हुकुम अली निवासी ग्राम काजीपुर से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते दिनांक 06/07.11.2026 की मध्यरात्रि में उसने अपने भाई इरफान उर्फ बिसाती, सुनील एवं छोटू तथा दिलशाद पुत्र रफीक के साथ मिलकर जिगर अली के घर के दरवाजे पर बंधी दो भैंसों को चोरी किया था। अभियुक्तों ने दोनों भैंसों को पिकअप वाहन संख्या UP43 BT 9896 पर लादकर झिलाही, मनकापुर की तरफ जंगल एवं झाड़ियों में छिपा दिया था। बाद में इरफान के कहने पर दोनों भैंसों को अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर बेचने के लिए उचित अवसर एवं ग्राहक की तलाश की जा रही थी। अभियुक्त दिलशाद ने पूछताछ में बताया कि वह पिकअप वाहन संख्या UP43 BT 9896 का चालक है। दिनांक 06/07.11.2026 की रात्रि में अनिल एवं उसके अन्य साथियों के कहने पर उसने अपना पिकअप वाहन ग्राम काजीपुर स्थित पानी की टंकी के पास खड़ा किया था, जिस पर सभी ने मिलकर चोरी की गई दोनों भैंसों को लादकर जंगल में पहुंचाया था। दिनांक 11.11.2026 को दोनों अभियुक्त चोरी की गई भैंसों को कोल्हमपुर विशेन से दयालपुर जाने वाले मार्ग के किनारे जंगल की झाड़ियों में छिपाकर रखे हुए थे, तभी पुलिस टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों ने घटना में अपने अन्य साथियों इरफान उर्फ बिसाती, सुनील एवं छोटू की संलिप्तता भी स्वीकार की, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. दिलशाद पुत्र रफीक, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा
2. अनिल पुत्र हरी उर्फ रहमान, निवासी ग्राम काजीपुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग

01- मु0अ0सं0 379/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी

01- चोरी की गई 02 अदद भैंसें।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 आशीष यादव, थाना नवाबगंज।
2. उ0नि0 पंकज यादव।

3. उ0नि0 गुलाब चन्द्र यादव।
4. हे0का0 लालू पटेल।
5. का0 ऋषभ सिंह।
6. का0 विकास प्रजापति।
7. का0 राहुल यादव।
8. का0 युवराज सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक- 11.11.2026

थाना छपिया पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही

थाना छपिया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 395/2026 धारा 64(2)(m), 351(3), 352 बीएनएस एवं धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बाबूलाल उर्फ मोतीराम को हथियागढ़ स्थित रौजा बाबा मजार के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 30.10.2026 को थाना छपिया पर वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री को अभियुक्त बाबूलाल उर्फ मोतीराम निवासी ग्राम कम्मरपुर, थाना सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर द्वारा करीब 02 वर्ष पूर्व अपने प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया गया तथा दुराचार किया गया। पीड़िता द्वारा शादी करने की बात कहने पर अभियुक्त ने शादी करने से मना कर दिया तथा विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपिया पर मु0अ0सं0 395/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. बाबूलाल उर्फ मोतीराम पुत्र सुखराम निवासी ग्राम कम्मरपुर, थाना सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर

पंजीकृत अभियोग

01- मु0अ0सं0 395/2026 धारा 64(2)(m), 351(3), 352 बीएनएस एवं धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 महेन्द्र प्रताप चौधरी, थाना छपिया।
2. उ0नि0 वीरेन्द्र यादव, थाना छपिया।
3. हे0का0 अमरजीत, थाना छपिया।
4. हे0का0 शिव कुमार यादव, थाना छपिया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक- 11.11.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर बहलाफुसलाकर भगाने के आरोपी अभियुक्त - कोकिया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

आज दिनांक 11.11.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-290/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त मंजीत कुमार पुत्र रामसुरेश को लोलपुर हाईवे, बस्ती-अयोध्या मार्ग से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी द्वारा दिनांक 10.08.2026 को थाना नवाबगंज पर तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री को मंजीत कुमार पुत्र रामसुरेश निवासी ग्राम टेड़ाघाट रजवापुर, थाना परसरामपुर, जनपद बस्ती शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज मे अभियोग पंजीकृत हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मंजीत कुमार पुत्र रामसुरेश, निवासी ग्राम टेड़ाघाट रजवापुर, थाना परसरामपुर, जनपद बस्ती, उम्र करीब 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग

01- मु0अ0सं0-290/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अमरजीत सोनकर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।
2. कां0 रुद्र प्रताप सिंह।
3. म0कां0 हिमान्ती राना।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक- 11.11.2026

थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही

थाना कोतवाली करनैलगंज पुलिस द्वारा मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त सुखराम पुत्र पुसई को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे से संबंधित अभियुक्त सुखराम मनिहारी जाने वाले मार्ग पर सरयू नदी घाट की तरफ मौजूद है तथा कहीं जाने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मनिहारी घाट के पास घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ लिया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 09.11.2026 को वादिनी पूजा पत्नी शिवशंकर निवासी हरदयाल पुरवा, मौजा चकरौत, थाना कोतवाली करनैलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली करनैलगंज पर तहरीर दी गई कि पुरानी रंजिश को लेकर उनके पड़ोसी सुखराम पुत्र पुसई, सूरज पुत्र सुखराम, चन्दन पुत्र सुखराम तथा सुखराम की पत्नी द्वारा एकराय होकर उनके दरवाजे पर आकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डण्डों से उनके पति शिवशंकर के साथ मारपीट की गई, जिससे उनके पति के सिर में चोट लगने के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़े। शोर-शराबा सुनकर ग्रामीणों द्वारा मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया गया। इसके बाद विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सुखराम पुत्र पुसई निवासी हरदयाल पुरवा, मौजा चकरौत, थाना कोतवाली करनैलगंज, जनपद गोण्डा, उम्र करीब 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग

01- मु0अ0सं0-664/2026, धारा 115(2), 351(3), 352, 109(1) बीएनएस, थाना कोतवाली करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 दयानन्द यादव, थाना कोतवाली करनैलगंज।
2. हे0का0 देवनाथ यादव।
3. का0 अमित कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।